न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

अपील संख्या 243/2020 जिला–दौसा।

रामजीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीना निवासी रूडमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर दौसा दिनांक 03.11.2020 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत प्रथम अपील संख्या 17/2019

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री प्रदीप कुमार विजय।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक–21.09.2021

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 03.11.2020 के खिलाफ दिनांक 24.11.2021 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर दौसा द्वारा शीर्षक अपील रामजीलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 03.11.2020 के द्वारा अपील खारीज कर न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा मुकदमा नम्बर 198/2018 सरकार बनाम रामजीलाल में पारित निर्णय दिनांक 29.10.2018 यथावत रखा गया।
3. न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.11.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.2021 तथा तहसीलदार दौसा के निर्णय दिनांक 29.10.2018 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट् की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मींमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि पटवारी हल्का गांगदवाडी ने एक रिपोर्ट तहसीलदार दौसा मे पेश की गई कि अपीलांट् ने खसरा नम्बर 306 रकबा 0.10 है0 किस्म चारागाह तन ग्राम रूडमल का बास पर बाजरा बोकर अतिक्रमण कर लिया है जिस पर तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 29.10.2018 को अपीलांट् को उक्त भू–भाग से बेदखल करने एवं 45 रूपये पेनल्टी से दंडित कर दिया एवं अपीलांट् को 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित कर दिया जिसकी अपीलांट् को कतई जानकारी नही थी। अपीलांट् को उक्त निर्णय की जानकारी होते ही अपीलांट् ने उक्त निर्णय दिनांक 29.10.2018 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष अपील पेश की जिसे जिला कलक्टर दौसा ने काननू के विपरीत तरीके से अपीलांट की अपील को दिनांक 03.11.2020 को खारीज कर दिया गया। पटवारी हल्का ने पूर्व बेदखली की कोई रिपोर्ट पेश नही की गई थी ओर ना ही पूर्व बेदखली का कोई रिकार्ड प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा ने पटवारी हल्का के कोई बयान नही लिये ओर ना ही पटवारी हल्का से कोई जिरह का मौका दिया और ना ही दस्तावेज प्रदर्श हुआ किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा ने उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की हैं। अपीलांट् ने किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया था। पटवारी हल्का ने झूठी रिपोर्ट की थी किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट् को दंडित करने में कानूनी गलती की है जिससे निर्णय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

दोनो अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट् स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.2020 तथा न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2018 को निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.11.2020 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है एवं अपील अपीलांट सारहीन होने से खारीज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट् खारीज की जावे

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि न्यायालय तहसीलदार दौसा के समक्ष पटवारी हल्का गोठडा द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) ने ग्राम रूडमल का बास की आराजी खसरा नम्बर 306 रकबा 0.10 है. किस्म चारागाह पर संवत 2075 में बाजरा बोकर अतिक्रमण किया है। जिस पर न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा प्रकरण संख्या 198/20218 दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) को तलब किया गया तथा प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार दौसा ने दिनांक 29.10.2018 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) को 90 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाकर अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने व वार्षिक लगान 0.90 रूपये का 50 गुणा 45/—रूपये शास्ति आरोपित करते हुये निर्णय पारित किया गया। तहसीलदार दौसा के उक्त निर्णय के विरूद्ध गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) ने प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा शीर्षक अपील रामजीलाल बनाम सरकार में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.11.2020 पारित कर अपील अपीलांट खारीज की जाकर तहसीलदार दौसा के निर्णय दिनांक 29.10.2018 को यथावत रखा गया।

8. हम समझते है कि अपीलांट् द्वारा ग्राम रूडमल का बास की आराजी खसरा नम्बर 306 रकबा 0.10 है0 किस्म चारागाह भूमि पर बाजरा बोकर अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा एवं न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील सारहीन होने से खारीज किये जाने योग्य है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट् खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.2020 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 21.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner